न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 217/2019

अनवान :

1. आदित्य सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. अंगद सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानूप्रताप : वादीगण

निर्णय दिनांक : 12-3-2020

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 59/60 के खसरा सं0 157 की 0.0760 है0 एवं खसरा सं0 160 की 4.6300 है0 कुल 4.7060 है0 बारानी में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद को वाद कृषि भूमि अपने पिता देवतराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक एवं दादालाई कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी अगन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम पालड़ी खाता सं0 59/60 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, प्रदर्शित करवाई एवं वारिस प्रमाण पत्र का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम पालड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में [illegible] की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद क[illegible]मि [illegible]क्त हिन्दू परिवार की पैतृक एवं दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है। [illegible] वादीगण ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम पालड़ी खाता सं0 59/60 [illegible] 2073 से 76 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई जिसमें पूर्व की प्रविष्टि वादीगण के दा[illegible] देवतराम के नाम दर्ज व देवतराम की फौतगी के बाद विरासतन जरिये इन्तकाल नं0 445 से देवतराम के वारिसान के नाम दर्ज हुई है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं शपथ पत्र में राजेन्द्र प्रसाद के वारिसान में पत्नी कृष्णारानी, दो पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

आदित्यसिंह व अंगदसिंह होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 59/60 के खसरा सं0 157 की 0.0760 है0 एवं खसरा सं0 160 की 4.6300 है0 कुल 4.7060 है0 बारानी में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 217/2019

उनवान :

1. आदित्य सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. अंगद सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानूप्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 59/60 के खसरा सं0 157 की 0.0760 है0 एवं खसरा सं0 160 की 4.6300 है0 कुल 4.7060 है0 बारानी में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़